

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/388-25234/जोन-जयपुर/2024/205

दिनांक- 28/3/2024

## ::आदेश::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (गुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ. डी(नियम)/2013-आ दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15 (88) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन शृंखला	देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन शृंखला
1	सरिता कुमारी म.स्वा.कार्यकर्ता	झुन्डुनु	18.02.2005	18.02.2023 18 वर्ष	लेवल-10	लेवल -11
2	संगीता सुनेलवाल नर्सिंग ऑफीसर	झुन्डुनु	10.06.2011	10.06.2020 09 वर्ष	लेवल-10	लेवल -11
3	सुमन कुमारी नर्सिंग ऑफीसर	जयपुर	08.08.2005 प्र.नि. म.स्वा.कार्यकर्ता के पद पर	08.08.2023 18 वर्ष	लेवल-11	लेवल -12
4	मंजू बाई मीणा नर्सिंग ऑफीसर	जयपुर	16.08.2005 प्र.नि. म.स्वा.कार्यकर्ता के पद पर	16.08.2023 18 वर्ष	लेवल-11	लेवल -12
5	सरीता नर्सिंग ऑफीसर	सीकर	26.07.2005 प्र.नि. म.स्वा.कार्यकर्ता के पद पर	26.07.2023 18 वर्ष	लेवल-11	लेवल -12
6	मंजू कुमारी नर्सिंग ऑफीसर	सीकर	08.08.2005 प्र.नि. म.स्वा.कार्यकर्ता के पद पर	08.08.2023 18 वर्ष	लेवल-11	लेवल -12
7	राजकुमारी नर्सिंग ऑफीसर	सीकर	06.08.2005 प्र.नि. म.स्वा.कार्यकर्ता के पद पर	06.08.2023 18 वर्ष	लेवल-11	लेवल -12
8	अनिता नर्सिंग ऑफीसर	झुंझुनू	29.05.2013	29.05.2022 09 वर्ष	लेवल-11	लेवल -12
9	सुमन कुमारी नर्सिंग ऑफीसर	सीकर	11.08.2005 प्र.नि. म.स्वा.कार्यकर्ता के पद पर	11.08.2023 18 वर्ष	लेवल-11	लेवल -12
10	संगीता म.स्वा.कार्य	झुंझुनू	16.02.2005	16.02.2023 18 वर्ष	लेवल-10	लेवल -11

1. यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक- 28/3/2024

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/388-25234/जोन-जयपुर/2024/205

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref  
6164126

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :28-03-2024 02:27:41